झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
अष्टम (बजट) सत्र
वर्ग-01

निम्नलिखित अल्प सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक - 24, फाल्गुन, 1943 (श0) / 15 मार्च, 2022 (ई0) को झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सा0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
*147.	अ0सू0-34,	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	M.A.C.P. का लाभ देना।	वित्त।	05.03.22

*147. अ0सू0-34, वित्त विभाग के ज्ञापांक-40/वि0, राँची, दिनांक-08.03.2022 के द्वारा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में स्थानान्तरित।

नोट :- अ0सू0-34, दिनांक-14.03.2022 से सदन द्वारा दिनांक-15.03.2022 के लिए स्थगित।

राँची,
दिनांक- 15 मार्च, 2022 (ई0)।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्रश्न-01/2021-1306/वि0स0, राँची, दिनांक- 14/03/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ माननीय संसदीय कार्य मंत्री/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन 15.3.2022
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची

कृ0पृ0उ0/-

ज्ञाप सं0-प्रश्न-01/2021-.....1306...../वि0स0, राँची, दिनांक- 14/03/22

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमश माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

नीतेश रंजन
14.03.22

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची

ज्ञाप सं0-प्रश्न-01/2021-.....1306...../वि0स0, राँची, दिनांक- 14/03/22

प्रतिः- कार्यवाही शाखा/ वेबसाईट शाखा/ ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

नीतेश रंजन
14.03.22

अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची

एक्का/-

14/03/22

पंचम्

झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय

अष्टम् (बजट) सत्र

वर्ग–1

दिनांक– 24 फाल्गुन, 1943 (श0)
15 मार्च, 2022 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या–01

1 – स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग– 01

कुल योग– 01

झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम (बजट)सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार,दिनांक–..... 24 फाल्गुन,1943(श०) को 15 मार्च,2022(ई०)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे।

कमांक	विभागों को भेजी गई सां०सं	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
"क"69	अ०सू०–18	श्री अनन्त कुमार ओझा,	मिट्टी कला का संरक्षण।	उद्योग	27/02/22
160	अ०सू०–14	श्री प्रदीप यादव	कर्मचारियो का समायोजन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27/02/22
161	अ०सू०–35	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	मुआवजा राशि बढ़ाना।	वन पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन	10/03/22
162	अ०सू०–15	श्री निरल पुरती	आवासीय विद्यालय की स्थापना।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27/02/22
163	अ०सू०–19	डॉ० नीरा यादव	राशि उपलब्ध कराना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27/02/22
164	अ०सू०–16	श्री प्रदीप यादव	स्थायी प्रधानाध्यापक की व्यवस्था।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27/02/22
165	अ०सू०–33	श्री राज सिन्हा	दोषियो पर कार्रवाई	खान एवं भूतत्व	08/03/22
166	अ०सू०–20	श्री नारायण दास	पदाधिकारी का पदस्थापन।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	27/02/22
167	अ०सू०–36	श्री सुदेश कु० महतो	पुराने स्वरूप में बहाल करना	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता	10/03/22
168	अ०सू०–37	श्री सरयू राय	गुणवतापूर्ण उपकरण लगाना।	सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेस	10/03/22

कृ०पृ०उ०.....

01	02	03	04	05	06
169	अ०सू०-06	श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	पर्यावरनीय स्वीकृति में छूट देना।	खान एवं भूतत्व	23/02/22
170	अ०सू०-31	श्री सरयू राय	स्कूल एवं पुस्तकालय भवन का निर्माण।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता।	07/03/22

नोट :- "क" **69** अ०सू०-**18**, दिनांक-**08-03-22** को सदन से स्थगित।

रॉंची,
दिनांक-15 मार्च,2022

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020-.....1280.....वि०स०,रॉंची,दिनांक-.....12/03/22.....

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

12/3/22
(गुरुचरण सिंकू)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020-.....1280.....वि०स०,रॉंची,दिनांक-.....12/03/22.....

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

12/3/22
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-03/2020-.....1280.....वि०स०,रॉंची,दिनांक-.....12/03/22.....

प्रतिः- कार्यवाही शाखा बेवसाईट शाखा, J.V.S.T.V शाखा/ऑनलाईन शाखा/प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति शाखा एवं आश्वासन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

12/3/22
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,रॉंची।

पाण्डेय/-

11/03/22

मिट्टी कला का संरक्षण ।

उत्तर मुद्रित

''क''69. श्री अनन्त कुमार ओझा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्व की सरकार द्वारा राज्य के कुम्हारों के आर्थिक उत्थान हेतु ''माटी कला बोर्ड'' का गठन किया गया था एवं कोर्ड द्वारा शिल्पकारों को आधुनिक प्रशिक्षण के लिए कई जगह ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित की गयी थी, जहाँ सैकड़ों शिल्पकारों को ट्रेनिंग दी जाती थी;

(2) क्या यह बात सही है कि माटी कला बोर्ड का कार्यकाल मई, 2020 में ही समाप्त हो गई है और आजतक इस बोर्ड के पुर्नगठन की दिशा में वर्त्तमान सरकार द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है, जिस कारण यहाँ के कुम्हारों के दैनिक सामान के निर्माण, रोजगार और अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है;

(3) क्या यह बात सही है कि राज्य के कुम्हार व शिल्पकार परम्परागत पेशा से विमुख होकर दिहाड़ी मजदूरी करने तथा दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन को विवश हैं, जबकि दूसरे प्रदेशों से झारखण्ड में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की माटी से निर्मित वस्तुओं का आयात कर विक्रय किया जाता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब झारखण्ड माटी कला बोर्ड का पुर्नगठन कर कुम्हारों व शिल्पकारों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथ राजनीतिक उत्थान की दिशा में नयी तकनीक के साथ प्रशिक्षित करते हुए मिट्टी कला के संरक्षण एवं संवर्धन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकरात्मक ।

(2) अस्वीकारात्मक । झारखण्ड माटी कला बोर्ड वर्त्तमान में कार्यरत है । तथा राज्य के कुम्हारों/मिट्टी शिल्पकारों एवं लाभूकों के लिए निम्न प्रावधान किये गये है-

मशीन एवं उपकरणों का वितरण

(a) विद्युत चाक-कुल 2184 (दो हजार एक सौ चौरासी)

(b) पगमिल-कुल 337 (तीन सौ सैतीस)

(c) जिगर जौली-कुल 41 (एकतालीस)

(d) राँची, दुमका एवं गोला में प्रशिक्षण केन्द्र प्रारंभ किये गये है । इसके साथ ही कुम्हारों का प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन जारी है ।

(3) अस्वीकारात्मक । राज्य के कुम्हार एवं शिल्पकार वर्ग के उत्थान के लिए अगले वित्तीय वर्ष आवश्यकता अनुसार बजटीय उपबंध किया गया है एवं उनके सहयोग हेतु अनुदान पर विद्युत चाक-कुल 1040 (एक हजार चालीस), पगमिल-कुल 100 (एक सौ) एवं प्रेस मशीन कुल- 100 (एक सौ) वितरण का लक्ष्य रखा गया है । प्रशिक्षण हेतु छः बैच का लक्ष्य तथा कार्यशाला का भी प्रावधान किया गया है ।

(4) उपरोक्त में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

नोटः- ''क''69 दिनांक 8 मार्च, 2022 को सदन से स्थागित ।

160

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

500
14.03.22

श्री प्रदीप यादव, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–14

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यकों के 1,35,500 छात्राएँ 203 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय एवं 57 झारखण्ड आवासीय बालिका विद्यालय में लगातार 16 वर्षों से बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं एवं उनका परिणाम भी अन्य विद्यालयों से अच्छा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वर्तमान में 203 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एवं 57 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में कुल 96070 छात्राएँ अध्ययनरत् हैं।
2	क्या यह बात सही है कि इन बच्चों के पठन–पाठन के लिए कार्यरत शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी आज भी अस्थाई रूप से ही सरकारी विद्यालयों से काफी कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, जिस कारण शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी मानसिक एवं आर्थिक रूप से हमेशा तनाव में रहते हैं;	अस्वीकारात्मक। • कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की जाती है। • समय–समय पर इन शिक्षिकाओं एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी हुई है जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परिलब्धि से अधिक है। • पुनः मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या 253 दिनांक 18.02.2022 के अन्तर्गत शिक्षिकाओं के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बालिकाओं को बेहतर गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए इन विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत शिक्षिका एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों का समायोजन करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	• इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मी का चयन जिला स्तर पर गठित समिति के द्वारा संविदा पर की जाती है। • इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी की सेवा संविदा आधारित है। राज्य सरकार द्वारा पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के लिए नियमित सेवा में आरक्षण का प्रावधान सरकार के विचाराधीन है।

14/3/22
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक–14/व02–27/2022 – 502 राँची, दिनांक 14/2/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–704, दिनांक 27.02.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/2/22
सरकार के अवर सचिव

(161)

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2022 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–35 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में विगत दस वर्षों में झारखण्ड के सारण्डा जंगलों के अलावा उड़ीसा, छतीसगढ़ राज्यों से हाथियों के झुंड का पलायन सिमडेगा जिला में होता रहा है;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि हाथियों एवं मनुष्यों के बीच की लड़ाई का एक मात्र कारण खाना एवं जीवन जीने को लेकर है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वास्तव में मानव की जनसंख्या वृद्धि, वन्यजीव पर्यावास के खंडन, घरो में मादक पदार्थों का रखा जाना एवं उसका सेवन, हाथी द्वारा क्षति पहुँचाये जाने के विरूद्ध आक्रोशजनित प्रतिक्रिया, जंगली हाथियों के खाने की आदत में बदलाव, सुरक्षित पर्यावास का अभाव आदि अनेक कारण हाथी–मानव द्वन्द के हो सकते हैं।
3. क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिला में हाथियों द्वारा जानमाल, घरों का तोड़–फोड़ एवं खेतों के खड़ी फसलों को नुकसान के बाद दी जाने वाली क्षतिपूर्त्ति की राशि और नुकसान हुए सारी चीजों के लिए दिये जाने वाले मुआवजे की राशि बहुत कम है;	सिमडेगा जिला में हाथियों द्वारा जान–माल की क्षति, घरों के तोड़–फोड़ एवं खेतों की खड़ी फसलों के नुकसान के संदर्भ में दी जाने वाली मुआवजे की राशि का भुगतान झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या–3906 दिनांक–18.09.2017 में उल्लेखित प्रावधान के तहत् किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 119.736 लाख रूपये की राशि का भुगतान हाथी प्रभावित इलाके में मुआवजा के रूप में किया गया है। मुआवजा वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस पर यथाशीघ्र नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हाथियों और मनुष्यों के बीच के इस संघर्ष को कम करने और हाथियों के द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के जंगलों में हाथियों के खाने से संबंधित पेड़–पौधे लगाकर छोटे–छोटे चैक डैम एवं छोटे–छोटे बाँधों का निर्माण कर हाथी एवं मानव समुदायों के बीच की लड़ाई को खत्म करने और मुआवजा राशि को बढ़ाना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वनों में किये जाने वाले विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में हाथियों के लिए रूचिकर (Palatable) प्रजाति भी सम्मिलित रहते हैं। राज्य के विभिन्न वन क्षेत्रों में कैम्पा योजना के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में छोटे–छोटे चेक डैमों का निर्माण किया गया है। सिमडेगा वन प्रमंडल के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में 5,06,000 पौधे लगाये गये है, तथा छोटे–छोटे 28 चेकडैमों का निर्माण कर हाथी–मानव द्वन्द को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/वि0स0अल्पसूचित प्रश्न–34/2022–801 व0प0, दिनांक–14/03/2022

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0–1192, दिनांक–10.03.2022 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/03/22

(सुनील कुमार)
सरकार के अवर सचिव

F/Vidhansabha-37 (Mukesh)

(163)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) 501 14.03.22

डॉ0 नीरा यादव, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–19

क्र मां क	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा संपोषित भोजन कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रव्यापी है तथा स्कूली बच्चे–बच्चियों की पोषण स्थिति में सुधार करना एवं बच्चों की स्कूल की उपस्थिति में सुधार करना है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–(1) में वर्णित योजना का संचालन ग्राम शिक्षा समिति और सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है;	आंशिक स्वीकारात्मक। योजना का संचालन विद्यालय प्रबंधन समिति की उपसमिति सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के द्वारा किया जाता है।
3	क्या यह बात सही है खण्ड–(1) में वर्णित योजनान्तर्गत राज्य सरकार के आदेशोपरान्त सभी वैसे विद्यालय जहाँ यह योजना संचालित है, वहाँ से योजना की राशि सरकार के द्वारा वापस ले ली गयी है, जिससे मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पर प्रतिकूल असर पड़ा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के दिशा–निर्देश तथा वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–1114 दिनांक 09.04.2021 एवं 1209 दिनांक 15.05.2021 के द्वारा योजना के लिए नई वित्तीय प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत व्यय का प्रावधान किया गया हैं, जिसमें योजना के लिए राज्य में प्राधिकरण स्तर पर मात्र एक खाता (एकल नोडल खाता) संधारित होगा जबकि जिला, प्रखण्ड एवं विद्यालय स्तर पर बैंक में शून्य बचत खाता संधारित किया जाना है। राशि के व्यय के लिए प्राधिकरण द्वारा राशि निकासी की सीमा निर्धारित करते हुए जिला/प्रखण्ड को प्राधिकार निर्गत होगा जिसके आलोक में सीधे प्राधिकरण के एकल नोडल खाता से राशि निकासी की जाएगी। इस प्रकार प्राधिकरण के अतिरिक्त अन्य सभी क्रियान्वयन एजेंसी के बैंक खाता में राशि शून्य रहेगा। भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के आलोक में अधीनस्थ एजेंसी के बैंक खाते से राशि प्राधिकरण के खाते में वापस लिया गया है। वर्तमान में इसी व्यवस्था के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना का अबाधित संचालन किया जा रहा है।

अकुलेट

4	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–(1) वर्णित योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पुनः योजना के सुव्यवस्थित संचालन हेतु राशि उपलब्ध का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका–3 में सन्निहित है।

अकुशिट
14/3/22
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक–14/व02–22/2022 -501 राँची, दिनांक 14./03/2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–701, दिनांक 27.02.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अकुशिट
14/3/22
सरकार के अवर सचिव

166

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री नारायण दास, स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–20

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–

क्र	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा का पद विगत 2 माह से खाली है, जिसके कारण स्कूल, कॉलेज की प्रस्वीकृति या अन्य मामले बाधित हो रहे हैं जिस कारण वित्त रहित शिक्षा नीति के तहत् अनुदानित स्कूल–कॉलेज की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है।	आंशिक स्वीकारात्मक । कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना सं0–1221 दिनांक–25.02.2022 के आलोक में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग में योगदान कर कार्यरत हैं।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य को 24 जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक के पद रिक्त है तथा रिक्त पद के विरूद्ध शिक्षा सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के एक पद के अतिरिक्त अन्य पदों का भी प्रभार दिया गया है, जिससे शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।	आंशिक स्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के सभी जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के पदों पर राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारी पदस्थापित हैं। राज्य शिक्षा सेवा के पदाधिकारियों की कमी के कारण वे कुछ जिलों में जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अधीक्षकों के अतिरिक्त प्रभार में पदस्थापित हैं तथा सभी कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहे हैं। सम्प्रति सिमडेगा जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल के पद पर पदस्थापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं जिलों में शिक्षा संवर्ग के सृजित पद के अनुरूप जिला शिक्षा अधीक्षक व जिला शिक्षा पदाधिकारी का अविलम्ब पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों से स्थिति स्पष्ट होगी। वस्तुस्थिति यह है कि राज्य शिक्षा सेवा के स्वीकृत 170 पदों के विरूद्ध वर्त्तमान में 69 पदाधिकारी ही कार्यरत हैं, जिसमें से 35 नवनियुक्त पदाधिकारी हैं, जो अभी परीक्ष्यमान अवधि में ही हैं। रिक्त पदों में से 41 पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना विभागीय पत्रांक–2642 दिनांक–22.12.2020 द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग को प्रेषित की गई है।

08.3.22
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–01/वि02–01/2022 486 राँची, दिनांक–08/03/22

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08.3.22
सरकार के संयुक्त सचिव।

(167)

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

507
14.3.22

श्री सुदेश कुमार महतो, मा.स.वि.स. से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–36

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	उत्तर श्री जगरनाथ महतो, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1	क्या यह बात सही है कि 2017–19 के बीच दो चरणों में राज्य के 5700 स्कूलों का विलय कर दिया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार के पत्रांक–F.No-12-4/2016-EE.11, दिनांक 07.07.2017 के क्रम में शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के मानक के अधीन गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु विद्यालय पुनर्गठन की कार्रवाई विभागीय पत्रांक–410 दिनांक 09.02.2018 द्वारा निर्धारित पाँच मानकों के आधार पर स्थलीय क्षेत्र निरीक्षण के पश्चात प्रखण्ड शिक्षा समिति एवं जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति के अनुमोदन पर किया गया है। इसके अंतर्गत कुल 4096 (चार हजार छियानवें) विद्यालयों का विलय एवं 527 (पाँच सौ सताईस) विद्यालयों का अवक्रमण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में इस विषय पर दायर चार जनहित याचिका (PIL संख्या–3227/2018, 2545/2018, 1354/2018 एवं 3123/2018) का निष्पादन विद्यालय विलय नीति को सही मानते हुए किया गया है। दो याचिकाकर्त्ता पर न्यायालय द्वारा आर्थिक दण्ड भी अधिरोपित किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि स्कूलों के विलय से ग्रामीण इलाकों में बच्चों की शैक्षणिक व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ा है एवं अभिभावकों की कठिनाईयाँ भी बढ़ी है;	अस्वीकारात्मक। युक्तिकरण के कारण विद्यालयों को अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध हुए हैं। विलय के प्रभाव का अध्ययन के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय प्रबंधन संस्थान, रांची से मूल्यांकन कराया गया था। संस्थान द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार जिस उद्देश्यों से स्कूलों का विलय किया गया था उसमें अधिकांश उद्देश्य विलय से पूर्ण होता पाया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि एक बार पुनः स्कूलों के विलय की तैयारी चल रही है, जिसके लिए विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मांगी है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विलय किए गए स्कूलों को पुनः पुराने स्वरूप में बहाल करने की इच्छा रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

14/3/22
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–14/व02–52/2022 – 507 राँची, दिनांक 14/03/2022

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1193, दिनांक 10.03.2022 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/3/22
सरकार के अवर सचिव

168

श्री सरयू राय, माननीय स०वि०स० द्वारा पुछा जानेवाला प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या–37 का उत्तर प्रतिवेदन

क्र०सं०	अल्प सूचित प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिसम्बर 2018 में पूरा होनेवाला झारनेट 2.0 परियोजना आजतक पूरा स्थापित नहीं हुआ है और बार–बार इसके स्थापन तिथि का विस्तार दिया जा रहा है।	अस्वीकारात्मक। झारनेट 2.0 का स्थापना का कार्य 30 अप्रैल, 2021 को पूर्ण कर लिया गया है। झारनेट 2.0 को दिनांक 01/05/2021 की प्रभावी तिथि से Go-Live किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि झारनेट 2.0 के निविदा निष्पादन की समीक्षा में पाया गया कि "Product quoted by bidder is not full complying RFP clause" परंतु इसकी स्थापन प्रक्रिया में वही उपकरण लगाये जा रहे हैं।	अस्वीकारात्मक। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया कि LoI प्रदत्त निविदादाता से इस आशय का Undertaking प्राप्त कर लेंगे कि "वे Fully Compliant Product उपलब्ध करायेंगे एवं क्रियान्वयन के क्रम में इसकी जाँच कर लेंगे कि Product RFP Compliant है।" उक्त के आलोक में दिनांक 04.06.2020 को निविदा समिति के बैठक में उपकरणों के उक्त Specification/Features को RFP के अनुरूप पाया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा झारनेट 2.0 की निविदा निष्पादन की जाँच विशेषज्ञ से कराने का सुझाव खारिज कर देने एवं विभागीय जाँच समिति की अनुशंसा अमान्य कर क्रियान्वयन का सशर्त आदेश देने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।	अस्वीकारात्मक। (उत्तर कंडिका–2 ।देमें समाहित)
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी की झारनेट 2.0 के स्थापन में प्रयुक्त उपकरण निविदा में वर्णित गुणवत्ता के हैं या नहीं यदि है तो कैसे और नहीं है, तो इन्हें लगाने का कारण क्या है?	लागू नहीं। (उत्तर कंडिका–2 में समाहित)

झारखण्ड सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग
तृतीय मंजिल, झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, राँची–834004

ज्ञापांक: ITSec2/Vidhan.Prshn-1/2022/IT 398 राँची, दिनांक: 14.03.2022

प्रतिलिपि: उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक सं०प्र०–1194, दिनांक 10.03.2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार पोद्दार)
अवर सचिव

(169)

श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, स0वि0स0 द्वारा दिनांक–15.03.2022 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–06

क्या मंत्री, खान एवं भूतत्व विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगें किः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित 2500 ईंट भठ्ठों में लगभग तीन लाख मजदूर जीविकोपार्जन हेतु कार्य करते हैं;	मजदूरों के संबंध में सही आँकड़ा श्रम विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
2	क्या यह बात सही है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित अधिसूचना 28 मार्च, 2020, संख्या–1088, असाधारण, भाग–2, खण्ड–3 (iii) के आलोक में 02 मीटर की गहराई तक मिट्टी खनन् संक्रिया से अलग रखा गया है। साथ ही इस गजट के परिशिष्ट–9 सं0–13 में राज्य सरकार द्वारा किसी खनन् प्रक्रिया को पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट का अधिकार दिया गया है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है (अधिसूचना की प्रति संलग्न है।)
3	क्या यह बात सही है कि केन्द्रीय अधिनियम The Mines And Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 के नियम 15 के आलोक में नियमावली बनाने एवं आवश्यक संशोधन हेतु राज्य सरकार को अधिकार प्रदत्त होने के साथ संघीय व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य अधिकारों का विभाजन निहित है;	MMDR Act, 1957 के नियम–15 के तहत लघु खनिज के संबंध में नियमावली बनाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।
4	क्या यह बात सही है कि खंड–3 में वर्णित अधिनियम के नियम के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सहित कई प्रदेश की सरकार ने मिट्टी खनन के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के अनिवार्यता समाप्त कर दी है;	संबंधित अधिसूचना अभिलेख में संधारित नहीं है।
5	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य में सुक्ष्म/लघु ग्रामीण उद्योग को बढ़वा देने के उद्देश्य से संचालित ईट भट्ठों में प्रयुक्त होनेवाले मिट्टी के खनन् हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति की अनिवार्यता (E.C.) को समाप्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रस्ताव पर मंतव्य गठन का कार्य किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांकः–वि0स0(अ0सू0)–08/2022 531 /एम0, राँची, दिनांकः 28/3/2022

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–181 दिनांक–23.02.2022 के संदर्भ में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28032020-218948
CG-DL-E-28032020-218948

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1088] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2020/चैत्र 8, 1942
No. 1088] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2020/CHAITRA 8, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2020

का.आ. 1224(अ).—खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम 2020 (2020 का 2), खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएमडीआर अधिनियम कहा गया है) द्वारा 10 जनवरी, 2020 से प्रभावी संशोधन किया गया है और अन्य बातों के साथ कानूनी निर्बाधन के अंतरण के लिए उपबंधों से संबंधित नई धारा 8ख का अंत:स्थापन किया गया है;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (2) यह उपबंध करता है कि इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से अर्जित सभी विधिमान्य अधिकार, अनुमोदन, निकासी, अनुज्ञप्ति और इसी प्रकार दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित होना समझा जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम की धारा 8ख की उप-धारा (3) यह उपबंध करता है कि तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बाते के होते हुए भी, यह उस भूमि पर जिसमें नया पट्टा के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टादार द्वारा खनन संक्रियाएं कार्यान्वित किए जा रहे थे, निरंतर खनन संक्रियाओं को नए पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण किया जाएगा;

और, एमएमडीआर अधिनियम को पूर्वोक्त संशोधन के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना, 2006 कहा गया है) के सुसंगत उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए आवश्यक समझती है।

और, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सड़कों के लिए साधारण पृथ्वी का उपयोग करने के लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा के अधित्याग के लिए अभ्यावेदनों की प्राप्ति पर; और पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोले (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकहित में, उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति के पश्चात् और अधिसूचना सं. का. आ. 4307 (अ), तारीख 29 नवंबर, 2019 को अधिक्रांत करते हुए, ईआईए अधिसूचना, 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) पैरा 11 में, उप-पैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 8क की उप-धारा (5) और उप-धारा (6) के उपबंधों के अधीन अवसान होने वाले खनन पट्टे का सफल बोली लगाने वाला और उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित नया पट्टा के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए पूर्ववर्ती पट्टेदार पर निहित पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति विधिमान्य अर्जित किया गया समझा जाएगा और यह नया पट्टा प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए या उसमें उल्लिखित निबंधनों शर्तों के अनुसार नया पर्यावरणीय अनापत्ति, नया निकासी अभिप्राप्त होने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, उक्त पट्टा क्षेत्र पर पूर्ववर्ती पट्टेदार का स्वीकृत पर्यावरणीय अनापत्ति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार निरंतर खनन संक्रिया नया पट्टेदार के लिए विधिपूर्ण होंगी;

परन्तु, सफल बोली लगाने वाला नया पट्टा मंजूर करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर विनियामक प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन करेगा और अभिप्राप्त करेगा।";

(ii) अनुसूची के मद 1 (क) के सामने, स्तंभ (5) के खंड (2) के टिप्पण के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(3) उक्त पट्टा के अवसान के पश्चात् पूर्ववर्ती पट्टेदार द्वारा खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) के उपबंधों के अधीन खनन पट्टे के अवसान होने तक भीतर पड़ी पहले से ही खनिज वाह्य सामग्री का निष्क्रमण या निष्कासन और परिवहन उस अधिनियम के अधीन और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार नीलामी के माध्यम से चयनित सफल बोली लगाने की इस प्रकार अनुज्ञात खनन हैसियत के भाग के रूप में नहीं होगा।"

(iii) परिशिष्ट – IX के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परिशिष्ट – 9

कतिपय मामलों के पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा से छूट

निम्नलिखित मामलों को पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति की अपेक्षा नहीं होगी, अर्थात् :-

1. मैनुअल खनन द्वारा साधारण मिट्टी या बालू की कुम्हारों द्वारा मिट्टी के घड़े, लैम्प, खिलौने, आदि बनाने के लिए उनकी प्रथाओं के अनुसार निकासी ।
2. मैनुअल खनन द्वारा मिट्टी की टाइलें बनाने द्वारा जो मिट्टी की टाइलें बनाते हैं, के लिए साधारण मिट्टी या बालू की निकासी।
3. किसानों द्वारा बाढ़ के पश्चात् कृषि भूमि से बालू के जमाव को हटाना।

4. ग्राम पंचायत में अवस्थित स्रोतों से बालू और साधारण मिट्टी को वैयक्तिक उपयोग या ग्राम में समुदाय कार्य के लिए प्रथा के अनुसार खनन।

5. सामुदायिक कार्य जैसे ग्रामीण तालाबों या टैंकों से गाद हटाना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और गारंटी स्कीमों, अन्य सरकारी स्कीमों, प्रायोजित तथा सामुदायिक प्रयासों द्वारा ग्रामीण सड़कों, तालाबों या बांधों का संनिर्माण।

6. सड़क, पाइपलाइन, आदि जैसे रेखीय परियोजनाओं के लिए साधारण मिट्टी की निकासी, निष्कासन या प्रयोग करना।

7. बांधों, तालाबों, मेड़ों, बैराजों, नदी और नहरों की उनके अनुरक्षित तथा आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के लिए तलमार्जन और गाद निकालना।

8. गुजरात में गुजरात सरकार की तारीख 14 फरवरी, 1990 की अधिसूचना सं. जीयू / 90 (16)/ एमसीआर–2189 (68) / 5 – सीएचएच द्वारा बंजारा और ओड द्वारा बालू के पारंपरिक उपजीविका कार्य।

9. पारंपरिक समुदाय द्वारा अंतर ज्वारीय क्षेत्र के भीतर चूने के गोलों (मृत भू-पटल), पवित्र स्थानों, आदि के मैनुअल निकासी।

10. सिंचाई या पेयजल के लिए कुओं की खुदाई।

11. यथास्थिति, ऐसे भवनों की नींव के लिए खुदाई जिनके लिए पूर्व पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।

12. जिला कलेक्टर या जिला मजिस्ट्रेट या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश पर किसी नहर, नाला, ड्रेन, जल निकाय, आदि में होने वाली दरार को भरने के लिए साधारण मिट्टी या बालू का उत्खनन ताकि किसी आपदा या बाढ़ जैसी स्थिति से निपटा जा सकें।

13. ऐसे क्रियाकलाप, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विधान या नियमों के अधीन गैर खननकारी क्रियाकलाप के रूप में घोषित किया गया है।"

[फा. सं. जेड–11013 / 47 / 2018–आई. ए. II (एम)]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का. आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित सं. द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किया गया :-

1. का. आ. 1949 (अ), तारीख 13 नवंबर, 2006;
2. का. आ. 1737 (अ), तारीख 11 अक्तूबर, 2007;
3. का. आ. 3067 (अ), तारीख 1 दिसंबर, 2009;
4. का. आ. 695 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011;
5. का. आ. 156 (अ), तारीख 25 जनवरी, 2012;
6. का. आ. 2896 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2012;
7. का. आ. 674 (अ), तारीख 13 मार्च, 2013;
8. का. आ. 2204 (अ), तारीख 19 जुलाई, 2013;
9. का. आ. 2555 (अ), तारीख 21 अगस्त, 2013;
10. का. आ. 2559 (अ), तारीख 22 अगस्त, 2013;
11. का. आ. 2731 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2013;

12. का. आ. 562 (अ), तारीख 26 फरवरी, 2014;
13. का. आ. 637 (अ), तारीख 28 फरवरी, 2014;
14. का. आ. 1599 (अ), तारीख 25 जून, 2014;
15. का. आ. 2601 (अ), तारीख 7 अक्तूबर, 2014;
16. का. आ. 2600 (अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2014;
17. का. आ. 3252 (अ), तारीख 22 दिसंबर, 2014;
18. का. आ. 382 (अ), तारीख 3 फरवरी, 2015;
19. का. आ. 811 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015;
20. का. आ. 996 (अ), तारीख 10 अप्रैल, 2015;
21. का. आ. 1142 (अ), तारीख 17 अप्रैल, 2015;
22. का. आ. 1141 (अ), तारीख 29 अप्रैल, 2015;
23. का. आ. 1834 (अ), तारीख 6 जुलाई, 2015;
24. का. आ. 2571 (अ), तारीख 31 अगस्त, 2015;
25. का. आ. 2572 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2015;
26. का. आ. 141 (अ), तारीख 15 जनवरी, 2016;
27. का. आ. 648 (अ), तारीख 3 मार्च, 2016;
28. का. आ. 2269 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2016;
29. का. आ. 2944 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2016;
30. का. आ. 3518 (अ), तारीख 23 नवंबर, 2016;
31. का. आ. 3999 (अ), तारीख 9 दिसंबर, 2016;
32. का. आ. 4241 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2016;
33. का. आ. 3611 (अ), तारीख 25 जुलाई, 2018;
34. का. आ. 3977 (अ), तारीख 14 अगस्त, 2018;
35. का. आ. 5733 (अ), तारीख 14 नवंबर, 2018;
36. का. आ. 5736 (अ), तारीख 15 नवंबर, 2018;
37. का. आ. 5845 (अ), तारीख 26 नवंबर, 2018;
38. का. आ. 345 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2019;
39. का. आ. 1960 (अ), तारीख 13 जून, 2019;
40. का. आ. 236 (अ), तारीख 16 जनवरी, 2020;
41. का. आ. 751 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020; और
42. का. आ. 1223 (अ), तारीख 27 मार्च, 2020।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2020

S.O. 1224(E).—WHEREAS, *vide* the Mineral Laws (Amendment) Act, 2020 (2 of 2020), the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) (hereinafter referred to as MMDR Act) has been amended with effect from the 10th day of January, 2020 and, *inter alia*, new section 8B relating to the provisions for transfer of statutory clearances has been inserted;

AND WHEREAS, sub-section (2) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the successful bidder of mining leases expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A and selected through auction as per the procedure provided under this Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired all valid rights, approvals, clearances, licences and the like vested with the previous lessee for a period of two years;

AND WHEREAS, sub-section (3) of section 8B of the MMDR Act provides that notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations on the land, in which mining operations were being carried out by the previous lessee, for a period of two years from the date of commencement of the new lease;

AND WHEREAS, in pursuance of the aforesaid amendment to the MMDR Act, the Central Government deems it necessary to align the relevant provisions of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification, 2006);

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change is in the receipt of representations for waiver of requirement of prior environmental clearance for borrowing of ordinary earth for roads; and manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules, in public interest, and in supersession of the notification number S.O. 4307(E), dated the 29th November, 2019, hereby makes the following further amendments in the EIA Notification, 2006, namely:-

In the said notification,-

(i) in paragraph 11, after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(3) The successful bidder of the mining leases, expiring under the provisions of sub-sections (5) and (6) of section 8A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder, shall be deemed to have acquired valid prior environmental clearance vested with the previous lessee for a period of two years, from the date of commencement of new lease and it shall be lawful for the new lessee to continue mining operations as per the same terms and conditions of environmental clearance granted to the previous lessee on the said lease area for a period of two years from the date of commencement of new lease or till the new lessee obtains a fresh environmental clearance with the terms and conditions mentioned therein, whichever is earlier:

Provided that the successful bidder shall apply and obtain prior environmental clearance from the regulatory authority within a period of two years from the date of grant of new lease.";

(ii) in the Schedule, against the item 1(a), in the column (5), after clause (2) of the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(3) The evacuation or removal and transportation of already mined out material lying within the mining leases expiring under the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), by the previous lessee, after the expiry of the said lease, shall not form the part of the mining capacity so permitted to the successful bidder, selected through auction as per the procedure provided under that Act and the rules made thereunder.";

(iii) for Appendix-IX, the following Appendix shall be substituted, namely:-

"APPENDIX-IX

EXEMPTION OF CERTAIN CASES FROM REQUIREMENT OF ENVIRONMENTAL CLEARANCE

The following cases shall not require Prior Environmental Clearance, namely:-

1. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by the Kumhars (Potter) to prepare earthen pots, lamp, toys, etc. as per their customs.
2. Extraction of ordinary clay or sand by manual mining, by earthen tile makers who prepare earthen tiles.
3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.
4. Customary extraction of sand and ordinary earth from sources situated in Gram Panchayat for personal use or community work in village.
5. Community works, like, de-silting of village ponds or tanks, construction of village roads, ponds or bunds undertaken in Mahatma Gandhi National Rural Employment and Guarantee Schemes, other Government sponsored schemes and community efforts.
6. Extraction or sourcing or borrowing of ordinary earth for the linear projects such as roads, pipelines, etc.
7. Dredging and de-silting of dams, reservoirs, weirs, barrages, river and canals for the purpose of their maintenance, upkeep and disaster management.
8. Traditional occupational work of sand by Vanjara and Oads in Gujarat vide notification number GU/90(16)/MCR-2189(68)/5-CHH, dated the 14th February, 1990 of the Government of Gujarat.
9. Manual extraction of lime shells (dead shell), shrines, etc., within inter tidal zone by the traditional community.
10. Digging of wells for irrigation or drinking water purpose.
11. Digging of foundation for buildings, not requiring prior environmental clearance, as the case may be.
12. Excavation of ordinary earth or clay for plugging of any breach caused in canal, nallah, drain, water body, etc., to deal with any disaster or flood like situation upon orders of the District Collector or District Magistrate or any other Competent Authority.
13. Activities declared by the State Government under legislations or rules as non-mining activity."

[F. No. Z-11013/47/2018-IA.II (M)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and subsequently amended *vide* the following numbers:-

1. S.O. 1949 (E), dated the 13th November, 2006;
2. S.O. 1737 (E), dated the 11th October, 2007;
3. S.O. 3067 (E), dated the 1st December, 2009;
4. S.O. 695 (E), dated the 4th April, 2011;
5. S.O. 156 (E), dated the 25th January, 2012;
6. S.O. 2896 (E), dated the 13th December, 2012;
7. S.O. 674 (E), dated the 13th March, 2013;
8. S.O. 2204 (E), dated the 19th July, 2013;
9. S.O. 2555 (E), dated the 21st August, 2013;
10. S.O. 2559 (E), dated the 22nd August, 2013;
11. S.O. 2731 (E), dated the 9th September, 2013;
12. S.O. 562 (E), dated the 26th February, 2014;
13. S.O. 637 (E), dated the 28th February, 2014;

14. S.O. 1599 (E), dated the 25th June, 2014;
15. S.O. 2601 (E), dated the 7th October, 2014;
16. S.O. 2600 (E), dated the 9th October, 2014;
17. S.O. 3252 (E), dated the 22nd December, 2014;
18. S.O. 382 (E), dated the 3rd February, 2015;
19. S.O. 811 (E), dated the 23rd March, 2015;
20. S.O. 996 (E), dated the 10th April, 2015;
21. S.O. 1142 (E), dated the 17th April, 2015;
22. S.O. 1141 (E), dated the 29th April, 2015;
23. S.O. 1834 (E), dated the 6th July, 2015;
24. S.O. 2571 (E), dated the 31st August, 2015;
25. S.O. 2572 (E), dated the 14th September, 2015;
26. S.O. 141 (E), dated the 15th January, 2016;
27. S.O. 648 (E), dated the 3rd March, 2016;
28. S.O. 2269(E), dated the 1st July, 2016;
29. S.O. 2944(E), dated the 14th September, 2016;
30. S.O. 3518 (E), dated 23rd November 2016;
31. S.O. 3999 (E), dated the 9th December, 2016;
32. S.O. 4241(E), dated the 30th December, 2016;
33. S.O. 3611(E), dated the 25th July, 2018;
34. S.O. 3977 (E), dated the 14th August, 2018;
35. S.O. 5733 (E), dated the 14th November, 2018;
36. S.O. 5736 (E), dated the 15th November, 2018;
37. S.O. 5845(E), dated the 26th November, 2018;
38. S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019;
39. S.O. 1960(E), dated the 13th June, 2019;
40. S.O. 236(E), dated the 16th January, 2020;
41. S.O. 751(E), dated the 17th February, 2020; and
42. S.O. 1223(E), dated the 27th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.28 12:45:42 +05'30'